राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक राम/प–2(13)रातस/बैच–30/2021/ 10,053 दिनांकः 24/12/2021

–: आदेश :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 में निम्नांकित सफल अभ्यार्थियों को नायब तहसीलदार के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से परिवीक्षा प्रशिक्षु नियुक्त कर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

S.NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	REMARK
1.	56	809566	PRITHVIRAJ PARMAR	GE	
2.	84	811833	POOJA YADAV	BC,WE	Ag-GE-WE
3.	88	808965	ARVIND SINGH RATHORE	GE	
4.	89	805230	ANKIT MIMANI	GE	
5.	93	810128	NITIN PUROHIT	GE	
6.	99	800830	RAJVENDRA SINGH	GE	
7.	101	810382	JITENDRA SINGH	BC	Ag-GE
8.	102	804088	SHIVA SHARMA	GE	
9.	105	824408	HARSHIT SHARMA	GE	
10.	120	811894	BUDHA RAM SOU	BC	Ag-GE
11.	122	816489	ASHOK KUMAR SHARMA	GE	
12.	123	809532	NITESH KUMAR GOYAL	GE	
13.	125	811646	SAPNA KUMARI SONI	BC,WE	Ag-GE-WE
14.	126	815578	ADITI SUROLIA	GE,WE	
15.	127	811214	SUMIT BHARDWAJ	GE	
16.	128	825769	DEVA RAM	BC,RG	Ag-GE
17.	129	805858	KAPIL CHOUDHARY	BC,RG	Ag-GE
18.	133	805296	DALEEP KUMAR	BC	Ag-GE
19.	135	811720	SHIVENDRA SINGH RATHORE	GE	
20.	137	821395	NEHA CHOUDHARY	BC,WE	Ag-GE-WE
21.	149	812997	NEELAM RATHORE	GE,WE	
22.	150	820674	SNEHDEEP SINGH SANDU	BC,RG	Ag-GE
23.	152	809309	SHIVANK SHARMA	GE	
24.	157	809775	ABHISHEK PAREEK	GE	
25.	159	812270	VIKAS KUMAR	GE	
26.	163	817068	RANJEET YADAV	BC,RG	Ag-GE
27.	165	808860	SHIVANI SHARMA	GE,WE	
28.	166	813225	HARISH KUMAR SARAN	BC	Ag-GE
29.	167	805317	GOURAV POONIA	BC	Ag-GE
30.	168	811945	MOHIT PANCHOLI	GE	
31.	169	816118	VISHWANATH PRATAP SINGH NARUKA	GE,RG	
32.	172	811508	SURESH	BC	Ag-GE
33.	176	824555	AZHAR BAIG	GE	
34.	177	803105	MOHIT AGRAWAL	GE	
35.	178	816686	PRAKASH KUMAR PATEL	BC	Ag-GE
36.	179	800123	MAHAVEER PRASAD SILU	BC	Ag-GE
37.	182	822279	NAR SINGH	BC,NG,RG	Ag-GE
38.	187	813117	ANKUR JAIN	GE	
39.	188	825196	CHANDRA SHAKER TONK	BC	Ag-GE
40.	189	812110	KARISHMA SINGH RANAWAT	GE,WE	
41.	192	812532	NIKITA POONIA	BC,WE,RG	Ag-GE-WE
42.	195	813582	DUSHYANT KUMAR SHARMA	GE	

24/12/21

S.NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	REMARK
43.	197	815056	RAMESH KUMAR	GE	
44.	199	800191	SUNIL KUMAR BISHNOI	BC	Ag-GE
45.	200	811309	NIRBHAY SHARMA	GE	
46.	201	809325	NEHA KANWAR	BC,WE	Ag-GE-WE
47.	204	810304	PARVEEN	GE	
48.	206	826634	HEMANT KALAL	BC,TSP-UR	
49.	207	810958	SUNIL KUMAR	BC	Ag-GE
50.	209	813160	MAHENDRA SINGH MUWAL	BC,RG	
51.	211	812082	YOGITA KANWAR	BC,WE,RG	Ag-GE-WE
52.	212	824660	MANJUR ALI DIWAN	BC	
53.	213	808606	MONIKA CHAUDHARY	GE,WE	
54.	214	809887	DATA RAM GURJAR	MB,RG	
55.	220	812147	RAHUL DHAKED	BC	
56.	221	813054	SANJAY KUMAR	BC	
57.	222	826382	NIKHIL VYAS	GE,TSP-UR	
58.	224	803312	SANJAY SINGH GURJAR	MB	
59.	225	810062	SURESH CHOUDHARY	BC	
60.	227	805910	SURYA DEV SWAMI	BC	
61.	228	810031	NEHA JAIN	GE,WE	
62.	232	803376	MAHENDRA SINGH GURJAR	MB	
63.	238	822571	AJAYPAL	BC,RG	
64.	240	817287	DAULA RAM BAJIYA	BC	
65.	249	821267	BHARGAVI SANDU	BC,WE	
66.	273	810791	RENU KUMARI	BC,WE	
67.	286	814454	DEEPA YADAV	BC,WE	
68.	291	813006	ALKA SINGH	BC,WE	
69.	299	810188	DINESH KUMAR YADAV	BC,EX	
70.	314	801099	BHAVNA SANKHLA	BC,WE,DV	Ag-GE-DV
71.	374	824262	GOVIND BHEDOLIYA	ST	
72.	449	809707	SUNITA JEPH	ST,WE	
73.	540	814282	RAM NIWAS MEHTA	SC	
74.	549	818225	ANIL KUMAR MEENA	ST	
75.	552	821889	HUKAM SINGH SISODIYA	GE,EX	
76.	564	813118	ROHIT MEENA	ST	
77.	572	811239	BRIJENDRA SINGH RATHORE	GE,EX	
78.	573	824304	RENUKA PANWAR	ST,WE,DV	
79.	591	809801	MAHENDRA KUMAR CHATURVEDI	GE,EX	
80.	595	812683	GAJRAJ MEENA	ST,RG	
81.	646	805410	SUNDER PAL	BC,EX	
82.	654	820012	DILIP SINGH	SC	
83.	714	808079	BAJARANG JAKHAR	BC,EX	
84.	756	814322	SEEMA MEENA	ST,WE	Ag-ST
85.	757	809274	UMESH CHAND SHARMA	GE,EX	
86.	803	811777	MADHU BALA MEENA	ST,WE	Ag-ST
87.	806	817779	SUNIL KUMAR	BC,EX	
88.	828	814090	SAPNA MEENA	ST,WE	Ag-ST
89.	833	808055	MUKESH KUMAR	BC,EX	
90.	849	811821	ANJALI BAIRWA	SC,WE	
91.	858	813235	AJAY MADHUKAR	SC	
92.	878	826680	CHANDA KUNWAR GUHIL	GE,WE,RG,TSP-UR	
93.	894	803870	NEERAJ SINGH	BC,EX	
94.	911	803558	VISHAL VERMA	SC	
95.	926	815783	SWATI	SC,WE	
96.	933	808958	KULDEEP SINGH	SC	
97.	940	811713	JAI SINGH	BC,EX	
98.	1056	810752	RAVI SHANKAR	SC	
99.	1110	820001	LALIT CHARAN	BC,EX	
100.	1120	811546	HEMANT SINGH SHEKHAWAT	GE,EX	
101.	1182	820289	BHOMA RAM	SC	

24/12/21

S.NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	REMARK
102.	1184	809166	BABU LAL JAT	BC,EX	
103.	1189	816887	NEHA RATHI	SC,WE	
104.	1201	806567	DIVANSHI JOIYA	SC,WE	
105.	1205	806510	ANOPA RAM	SC	
106.	1214	815353	JYOTI VERMA	SC,WE	
107.	1216	805017	MAMTA GAWAN	SC,WE	
108.	1219	825222	VIJAI KUMAR REGAR	SC,RG	
109.	1221	808816	AMIT JINDOLIA	SC	
110.	1226	811818	RAHUL GARG	SC	
111.	1236	809408	RAHUL RAJORIA	SC	
112.	1239	813003	PUSHKAR SINGH	BC,EX	
113.	1258	803384	AMIT KUMAR	SC	
114.	1260	822288	KIRAN SINGARIA	SC,WE	Ag-SC
115.	1263	805298	RANVEER	SC,RG	
116.	1277	805328	GIRDHARI LAL MEGHWAL	SC	
117.	1278	822230	RAMESH KUMAR	SC,RG	
118.	1282	821756	HANS RAJ	SC,RG	
119.	1454	823333	SURAJ PAL SINGH	GE,EX,TSP-UR	
120.	24 (TSP)	818915	DEEPIKA KATARA	TSP-ST,WE	
121.	1594	817141	RAMJI LAL GURJAR	MB,LD,RG	
122.	1687	818941	NARAYAN DAMOR	TSP-ST	
123.	1698	826390	NITESH PANCHOLI	TSP-SC	
124.	1731	826412	PRATEEK MEENA	TSP-ST	
125.	1732	820631	LAXMI	BC,WE,WD	Ag-GE-WD
126.	1733	818938	SHANKER LAL MAIDA	TSP-ST	
127.	1782	801655	KANCHAN CHOUHAN	BC,WE,HI	
128.	1804	810316	NEETU PAREEK	GE,WE,WD,RG	
129.	1810	805221	BHAWANA SHARMA	GE,WE,WD	
130.	1847	806860	PRATIGYA SONI	BC,WE,WD,NG,RG	Ag-GE-WD
131.	1850	811596	SEEMA SHARMA	GE,WE,WD	
132.	1854	803681	MAMATA KUMARI	BC,WE,WD,RG	
133.	1866	825864	RADHIKA DEVI	BC,WE,WD	
134.	1932	823007	KRISHNA INKIYA	SC,WE,WD	
135.	1936	815106	RAJU DEVI BUNKAR	SC,WE,WD,RG	
136.	1953	824591	NIRMALA KUMARI	MB,WE,WD	

<u>शर्तें :-</u>

1– यह नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन है।

2– उक्त नियुक्तियॉं S.B. Civil Writ Petition No. 13976/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 के क्रम में दृष्टि बाधित/अल्प दृष्टि श्रेणी हेतु विज्ञापित 03 (02 नॉन टीएसपी एवं 01 टीएसपी) पद के सुरक्षित रखते हुए याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन सेवा आवंटन किया गया है। एक अभ्यर्थी के विरूद्ध धारा 153क, 295क, 505(2) आईपीसी व 67 आईटी एक्ट में थाना कोतवाली करौली पर पंजीबद्ध हुआ जो जैर अनुसंधान पुलिस है। उक्त अभ्यर्थी की वरीयता क्रमांक एवं सेवा प्राथमिकता अनुसार राज० तहसीलदार सेवा में एक पद रिक्त रखते हुए उक्त विधिक प्रकरण के अंतिम निर्णय के अध्यधीन सेवा आवंटन किया गया है।

3– उक्त सेवा आवंटन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2016 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज० राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एव समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

24/12/21

4- उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यधीन रहेगी।

5— इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

6— नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

7— नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे कि उनके विरूद्ध कोई एफ. आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है। साथ ही प्रशासनिक विभाग को यह राय दी जाती है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/दण्ड/राजीनामा/ दोषमुक्त/एफ.आई.आर. आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाता है तो कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावें। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावे एवं नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावे। पुलिस सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनके नाम के आगे प्रोविजनल लिखते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।

8— यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्ययीन रहेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल रखी जयेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

9— नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं जीवित संतान/संतानो की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

10— कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 व 04.7.16 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थी उक्त अधिसूचना के कम में आवश्यक शपथ पत्र उपस्थिति से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।

11— गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र संख्या प. 15 (1) कार्मिक/ क—2/ 74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

12— राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात से नियुक्त है, के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

13— इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित विभाग की अधिसूचना कमांक प01(2)वित्त/ नियम/06 दिनांक दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

14— उक्त अभ्यर्थीयों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

15— उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।

16— इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में तीन बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

24/12/21

17— यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

18— सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

19— राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

20— जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई, अजमेर को प्रस्तुत करेंगे ।

21— अभ्यर्थी दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 9.30 बजे तक निश्चित रूप से राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में उपस्थिति देवें तथा उपस्थिति तिथि ही उनकी संगत (कार्यग्रहण) तिथि होगी ।

22— उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

उक्त संदर्भ में नव चयनित 136 अभ्यर्थियों को राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में निम्नानुसार 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है :–

क.सं.	प्रशिक्षण का नाम	कब से कब तक	अवधि
1	आधारभूत प्रशिक्षण (फाउंडेशनल ट्रेनिंग)	27.12.2021 से 11.02.2022 तक	45 दिन
2	भू–प्रबंध प्रशिक्षण (भू–प्रबंध विभाग में)	14.02.2022 से 15.03.2022 तक	1 माह
3	संस्थागत प्रशिक्षण 1-Segregation of Data (अवधि 4 दिवस) 2-Cadastral Maping (अवधि 2 दिवस) 3-Modern Record Room (अवधि 2 दिवस)	16.03.2022 से 29.04.2022 तक	45 दिन
4	कृषि प्रशिक्षण	02.05.2022 से 16.05.2022 तक	15 दिन
5	व्यावहारिक प्रशिक्षण (प्रेक्टिकल ट्रेनिंग तहसीलों में)	17.05.2022 से 15.07.2022 तक	2 माह
6	परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा	16.07.2022 से 22.07.2022 तक	7 दिन

आदेशानुसार,

24/12/21

(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 10,054-213 दिनांकः 24/12/2021

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1— निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2— संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ए–4,अनु–2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प–9 (1) कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांकः 24.12.2021 के क्रम में ।
3— प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4— सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5— आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।

6— निदेशक, आर.आर.टी.आई., अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आदेश में उल्लेखित ''बन्ध पत्र'', आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self declaration" अथवा शपथ पत्र तथा जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

7— श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, उप–निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 9097 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में नोडल अधिकारी होने के क्रम में व्यवस्थार्थ हेतु।

8— श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, तहसीलदार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 9097 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में नोडल अधिकारी होने के क्रम में व्यवस्थार्थ हेतु।

9— संबंधित अभ्यार्थी . . . .
<u>स्पीड पोस्ट</u> . . . .

10— प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर्स), राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।

11— निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर